न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

सोनू मिश्रा **बनाम** राममूरत आदि
प्रकीर्णवाद सं0– 340/2026
धारा–173(4)बी.एन.एस.एस.
थाना–कर्वी, जनपद चित्रकूट

03.08.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर विपक्षी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/प्रभारी से विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस. मय शपथ–पत्र प्रार्थी/आवेदक की ओर से इऩ तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी सोनू मिश्रा पुत्र नन्दकिशोर मिश्रा निवासी रेहूटा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट का निवासी है। प्रार्थी का एक मकान शंकर बाजार कर्वी जनपद चित्रकूट में बना है। जिसे राममूरत पुत्र स्व० रामसजीवन पटेल व उसकी पुत्री काजल उर्फ रंजना निवासीगण चिल्ला माफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट दिनांक 21/08/2025 को किराये से मकान लिया था। उस समय तालमेल अच्छा होने के कारण उक्त आरोपीगण प्रार्थी से तरह–तरह के बहाने लेकर बोर करने बावत व जमीन विक्रय देने बावत एक लाख अस्सी हजार रुपये उधार ले लिया व मौका पाकर घर में रखे जेवरात एक सोने की चैन वजनी एक तोला व एक सोने की अँगूठी वजनी चार आना भर व एक अदद मोबाइल लेकर चले गए । जब प्रार्थी को पता चला तो प्रार्थी पुलिस कोतवाली कर्वी अन्तर्गत मण्डी चौकी में तहरीर दिया जनसुनवाई सन्दर्भ संख्या 40017126001373 पर शिकायत किया जिस पर पुलिस दिनांक 16/12/2025 को 20 रुपये के स्टाम्प पर सुलह समझौता कराकर जून 2026 मे उक्त एक लाख अस्सी हजार रूपया जिसे वापस हेतु करने के लिये लिखा गया जिससे दिनांक 09/06/2026 को उक्त आरोपीगण साजिस के तहत मुझ प्रार्थी के मोबाइल नम्बर 8303398956 पर मोबाइल नम्बर 8858045371 से फोन कर धमकी दिया कि उक्त रुपया छोड़ दे नहीं तो तुम रहोगे या मैं, तुम्हें गोली से उड़ा दूँगी उसकी पुत्री काजल उर्फ रंजना ने धमकी दिया, जब की राममूरत की आवाज भी सुनायी दे रही थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्यों को भी गाली–गलौज कर अपमानित करने हेतु कहा । प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना थाना कोतवाली कर्वी में उसी दिन दिया है, किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। उक्त प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को यह भी धमकी दिये कि अगर अब और आगे कही कार्यवाही की तो तुझे जान से मार देंगे। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना पुनः थाना कोतवाली कर्वी में रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है जब थाना कोतवाली कर्वी में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तब प्रार्थी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र जरिये रजिस्ट्री दिनांक 10/06/2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चित्रकूट को दिया है फिर भी आज तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया के साथ एक संज्ञेय प्रकती का गंभीर अपराध कारित किया गया है। घटना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने व कराये जाने हेतु कोतवाली प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी को आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । प्रार्थना है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने व कराये जाने हेतु कोतवाली प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी को आदेशित किए जाने की कृपा की जावे ।

प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को प्रेषित पत्र की प्रति, एक प्रति थानाध्यक्ष,रजिस्ट्री रसीद व आधार कार्ड की एक प्रति दाखिल की गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर संबंधित थाने की आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण के संबंध में संबंधित थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र में जो भी तथ्य अंकित किये गए है, प्रार्थी/आवेदक की पूर्ण जानकारी में है, जिसे वह साक्ष्य से साबित कर सकता है। प्रार्थी/आवेदक उक्त कृत्य के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी दशा में विधि व्यवस्था **रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.**(2011) (43)ACC ,50 व **गुलाब चन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.**(2002) **क्रि. लॉ.** 2907, **चन्द्रिका सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.** 2007(50)ACC 777, ***सुखबासी बनाम उ0प्र0 राज्य इलाहाबाद क्रिमिनल केसेज ए0सी0सी0(59) 2007 पेज 739*** तथा **श्रीमती मोना पवार बनाम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,** 2011(74) ACC 2016 SC में दी गई विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को परिवाद के रूप में स्वीकार किया जाना न्यायहित में समीचीन है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस.परिवाद केस के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते परिवादी बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस. दिनांक 02.09.2026 को पेश हो।

(राजेन्द्र प्रसाद भारती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

J.O.Code–UP6469